विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

वर्ष 2012-2013
के वार्षिक लेखे

विषय-सूची

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे	1
31.03.2013 को बैलेंस शीट की स्थिति	3
31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखे	4
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	16

[illegible]िश्व [illegible]ं की [illegible]य प[illegible]
01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I.प्रारंभिक शेष			**I. <u>व्यय</u>**		
(क) नकद रोकड़	–	–	**(क) संस्थापना व्यय**		
			वेतन भविष्य निधि इत्यादि	1,04,61,374	1,19,43,172
(ख) बैंक में जमाराशि			बोनस	1,09,090	1,20,890
<u>चालू खाता</u>			ग्रेच्युटी व्यय	7,87,129	16,91,490
भारतीय स्टेट बैंक	1,37,98,309	1,67,97,147	परिषद द्वारा पेंशन निधि में अंशदान	1,75,284	1,87,727
			कर्मचारी कल्याण व्यय	7,635	14,434
(ग) अन्य			प्रशासनिक एवं निरीक्षण प्रभार-आरपीएफसी	12,500	12,986
अग्रदाय खाता	5,000	5,000	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	6,62,847	3,48,845
प्रेषक के पास डाक टिकटें	2,844	581	कर्मचारी समूह बीमा	40,000	40,000
II. अनुदान			**(ख) प्रशासनिक व्यय**		
एमईए से अनुदान - सामान्य	8,79,00,000	5,42,83,000	विज्ञापन व्यय	34,992	1,86,960
एमईए से अनुदान - आडोटोरियम का नवीकरण	–	5,72,00,000	लेखापरीक्षा शुल्क	74,220	1,80,136
एमईए से अनुदान - सीएससीएपी बैठकें	11,24,870	18,68,452	बैंक प्रभार	30,424	31,421
एमईए से अनुदान - सेमिनार	44,81,523	36,43,400	प्रकाशन लागत	15,46,344	15,45,659
आईसीएसएसआर से अनुदान - अनुसंधान	–	2,75,720	सीएससीएपी सामान्य व्यय	–	7,169
			विद्युत और जल प्रभार	32,81,881	30,65,467
III. <u>आय</u>			कार्यालय बीमा व्यय	23,761	23,326
पुस्तकालय सदस्यता	51,000	2,00,750	बैठक एवं सेमिनार व्यय	1,31,04,309	66,31,774
विविध आय	1,99,799	60,116	एनडीएमसी सम्पत्ति कर	65,580	65,580
रायल्टी प्रकाशनों आदि से आय	3,08,984	1,98,879	कार्यालय व्यय	6,47,822	4,37,596
प्रकाशन की बिक्री	–	683	डाक एवं तार	24,653	11,654
			व्यावसायिक प्रभार	1,52,06,464	95,45,321
IV. <u>अन्य प्राप्तियां</u>			प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	6,73,163	5,31,700
प्रतिभूति जमा - पुस्तकालय	72,800	19,600	मरम्मत एवं अनुरक्षण	44,12,082	22,73,121
अन्य अग्रिम प्राप्तियां	–	41,771	सुरक्षा व्यय	7,85,589	7,17,266
रद्द चेक	29,347	40,950	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	8,14,998	7,57,854
			यात्रा एवं वाहन	46,41,671	20,80,529
			ब्याज अदायगी - ईपीएफ ट्रस्ट	–	1,67,659
			समाचारपत्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1,85,909	1,06,982
			अंशदान एवं सदस्यता व्यय	5,89,693	34,310
			अवधि पूर्व व्यय	5,51,805	–
<u>कुल अग्रनीत</u>	10,79,74,476	13,46,36,049	**<u>कुल अग्रनीत</u>**	5,89,51,219	4,27,61,028

ह./	ह./	ह./	ह./
लेखाकार	**ए.डी वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु. में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल अग्रनीत	10,79,74,476	13,46,36,049	कुल अग्रनीत	5,89,51,219	4,27,61,028
			II. अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		
			कंप्यूटर/ उपसाधन	14,17,045	14,25,946
			विद्युत प्रतिष्ठान	–	85,910
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	10,41,508	8,05,893
			ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति	32,500	–
			पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	2,32,696	33,32,903
			पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	68,12,263	25,98,539
			कार्यालय उपस्कर	10,50,919	8,82,270
			भवन	–	4,32,463
			चल रहा पूंजी संकर्म (ऑडीटोरियम)	5,25,846	6,40,982
			चल रहा पूंजी संकर्म (इंस्टालेशन)	–	50,515
			चल रहा पूंजी संकर्म (एसी)	–	9,59,510
			III. प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	14,000	14,000
			IV. अन्यि भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	1,55,91,756	6,36,27,793
			प्रतिभूति जमा - एयरटेल	6,000	–
			प्रतिभूति जमा - एनडीएमसी	–	35,350
			सीएससीएपी अनुदान का उपयोग	13,85,957	14,01,649
			एमईए - सेमीनार अनुदान का उपयोग	21,94,115	–
			आईसीएसएसआर अनुदान का उपयोग	86,302	1,58,403
			अनुसंधान हेतु अनुदान पर व्यय	14,00,000	5,00,000
			अन्य अग्रिम	2,29,674	11,16,742
			कर्मचारियों को त्योहार का अग्रिम भुगतान	12,075	–
			V. . इतिशेष		
			(क) नकद रोकड़	–	–
			(ख) बैंक में जमाराशि		
			भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता	96,11,322	1,37,98,309
			भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता	73,71,311	–
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	2,968	2,844
कुल	10,79,74,476	13,46,36,049	कुल	10,79,74,476	13,46,36,049

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 01/05/2013

ह./	ह./	ह./	ह./
लेखाकार	ए.डी वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्वा मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र

(राशि रु. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
संग्रह / पूंजी निधि	1	1,06,40,469	96,55,423
उद्दिष्ट/पूर्त निधियां	2	45,48,708	21,31,347
आस्थिगित आय	3	10,57,28,193	6,00,45,259
चालू दायित्व और प्रावधान	4	4,32,25,710	7,29,90,359
कुल		16,41,43,080	14,48,22,388
परिसंपत्तियां			
अचल संपत्ति	5	10,69,25,586	6,13,12,348
वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि.	6	5,72,17,494	8,35,10,040
कुल		16,41,43,080	14,48,22,388
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान नई दिल्ली
तारीख 01/05/2013

ह./	ह./	ह./	ह./
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे

(राशि रु. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4, 4 बी देखिए)		6,11,44,877	4,61,34,077
सदस्यता फीस	7	54,033	7,90,036
स्वामित्व, प्रकाशना आदि से आय	8	3,41,802	2,21,660
अन्य आय	9	96,64,570	86,35,166
कुल (क)		7,12,05,282	5,57,80,939
व्यय			
स्थापना व्यय	10	1,62,41,353	1,34,16,989
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	4,17,44,866	3,06,17,513
अनुसंधान हेतु अनुदान पर व्यय		14,00,000	5,00,000
प्रकाशनों की लागत		17,58,658	15,99,575
मूल्य ह्रास (देखिए अनुसूची 5)		89,62,401	85,10,812
संपत्ति के निपटान पर हानि		1,14,920	79,266
पिछले वर्ष में प्रभारित मूल्यह्रास की अधिकता की वापसी		(1,962)	-
कुल (ख)		7,02,20,236	5,47,24,155
शेष अधिक होने के कारण/(कमी) (क-ख)		9,85,046	10,56,784
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	12		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	13		

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 01/05/2013

ह./	ह./	ह./	ह./
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

31 मार्च, 2013 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 1- संग्रह/पूंजी निधि :	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष		96,55,423		85,98,639
जोड़िए: संग्रह/पूंजी निधि में अंशदान	-		-	
जोड़िए: आय और व्यय लेख से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	9,85,046		10,56,784	
		9,85,046		10,56,784
वर्ष के अंत में अतिशेष		1,06,40,469		96,55,423

अनुसूची 2 उद्दिष्ट/ बंदोबस्ती निधियां				कुल	
		आईसीएसएसआर से अनुदान	एमईए - परियोजना से अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क)	निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	1,03,268	20,28,079	21,31,347	(7,03,582)
ख)	निधियों में परिवर्धन:				
	दान / अनुदान / वापसी	-	55,98,612	55,98,612	57,87,572
	निधियों के मद्देनजर किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-
ग)	निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय				
	i. पूंजी व्य य	-	-	-	-
	- अचल परिसंपत्तियां				
	- अन्य				
	ii. राजस्व व्यय			-	
	- वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	80,000	-	80,000	1,43,371
	- किराया	-	-		
	- अन्य - यात्रा एवं अन्य व्यय	12,775	30,66,743	30,79,518	28,09,272
	iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय		21,733	21,733	-
	वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	10,493	45,38,215	45,48,708	21,31,347

अनुसूची 3- आस्थगित आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
प्रारंभिक अतिशेष	6,00,45,259	5,14,75,885
जोड़िए: अवक्षयणीय नियत आस्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (शुद्ध)	5,47,39,840	1,71,32,544
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम		
जो आय और व्यय लेखे में अंतरित कर दी गई है।	90,56,906	85,63,170
कुल	10,57,28,193	6,00,45,259

ह./	ह./	ह./	ह./
लेखाकार	**ए.डी. वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

31 मार्च, 2013 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 4- वर्तमान देनदारिया और प्रावधान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देनदारियां 1) विविध लेनदार		33,09,208		51,45,771
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		21,883		24,916
3) सांविधिक देनदारियां				
क) अतिदेय	-		1,63,754	
ख) अन्य	2,32,347	2,32,347	4,04,992	5,68,746
4) अन्य चालू दायित्व				
क) प्रतिभूति जमा	8,04,915		7,46,115	
ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) एससीएच संदर्भ देखें)	91,63,291		20,28,748	
ग) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (ऑडिटोरियम का नवीकरण) (एसीएच 4.4 (ग) का संदर्भ देखें)	2,20,80,740		5,72,00,000	
घ) देय वेतन एवं भत्ते	6,53,677		7,62,042	
ङ.) अन्य देनदारियां	4,54,044	3,31,56,667	5,27,172	6,12,64,077
कुल (क)		3,67,20,105		6,70,03,510
ख. प्रावधान				
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		65,05,605		59,86,849
कुल (ख)		65,05,605		59,86,849
कुल (क+ख)		4,32,25,710		7,29,90,359

ह./ लेखाकार	ह./ ए.डी. वित्त	ह./ उप महानिदेशक	ह./ महानिदेशक

31 मार्च, 2013 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 4.4 (ख) केंद्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अतिशेष	20,28,748	1,10,12,369
जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	8,79,00,000	5,42,83,000
	8,99,28,748	6,52,95,369
घटाइए: केंद्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का आय और व्यय लेखे में अंतरण	6,11,44,877	4,61,34,077
	2,87,83,871	1,91,61,292
घटाइए: अवक्षयणीय नियत परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय का अंतरण)	1,96,20,580	1,71,32,544
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	91,63,291	20,28,748
कुल	91,63,291	20,28,748

अनुसूची 4.4 (ग) केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुप्रयुक्त अनुदान (ऑडिटोरियम का नवीकरण)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अतिशेष	5,72,00,000	–
जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	–	5,72,00,000
	5,72,00,000	5,72,00,000
घटाएं : ऑडिटोरियम के नवीकरण के लिए प्रयुक्त - शीर्ष कार्य प्रगति पर (आस्थगित आय का अंतरण)	3,51,19,260	–
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	2,20,80,740	5,72,00,000
कुल	2,20,80,740	5,72,00,000

ह./ **लेखाकार** | ह./ **ए.डी. वित्त** | ह./ **उप महानिदेशक** | ह./ **महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2013 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 – अचल परिसंपत्ति

(राशि रु. में)

मूल्यह्रास	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
केंद्रीय सरकार के अनुदान से अर्जित नियत परिसंपत्तियां										
1. भवन	28,65,530	-	-	28,65,530	16,67,336	59,910	-	17,27,246	11,38,284	11,98,194
2. फर्नीचर, फिक्चर्स	11,56,195	-	-	11,56,195	11,00,688	8,328	-	11,09,016	47,179	55,507
3. कार्यालय उपस्कर	51,097	-	-	51,097	48,714	357	-	49,071	2,026	2,383
4. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाए	38,967	-	-	38,967	27,962	1,101	-	29,063	9,904	11,005
कुल – कुल (क)	41,11,789	-	-	41,11,789	28,44,700	69,696	-	29,14,396	11,97,393	12,67,089
केंद्रीय सरकार के अनुदान से अर्जित नियत परिसंपत्तियां										
1. भवन	1,57,91,696	27,25,291	-	1,85,16,987	14,61,429	7,84,645	-	22,46,074	1,62,70,913	1,43,30,267
2. फर्नीचर, फिक्चर	1,84,96,966	15,08,435	-	2,00,05,401	94,15,779	14,88,553	-	1,09,04,332	91,01,069	90,81,187
3. कार्यालय उपस्कर	92,02,991	13,01,431	3,36,526	1,01,67,896	36,76,202	9,26,148	2,09,606	43,92,744	57,75,152	55,26,789
4. कंप्यूटर/उपसाधन	1,02,56,588	14,09,917	-	1,16,66,505	56,23,679	13,79,891	-	70,03,570	46,62,935	46,32,909
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	1,32,56,950	62,30,574	39,243	1,94,48,281	49,29,394	11,92,995	1,962	61,20,427	1,33,27,854	83,27,556
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	1,29,88,240	2,05,745	-	1,31,93,985	54,66,422	19,31,890	-	73,98,312	57,95,673	75,21,818
7. विद्युत इंस्टालेशन	1,28,94,586	7,91,754	-	1,36,86,340	55,35,995	11,63,171	-	66,99,166	69,87,174	73,58,591
8. साइकिल एवं रिक्शा	11,000	-	-	11,000	4,405	990	-	5,395	5,605	6,595
9. जल आपूर्ति प्रणाली	5,51,216	32,500	-	5,83,716	79,045	24,422	-	1,03,467	4,80,249	4,72,171
उप – जोड़ (ख)	9,34,50,233	1,42,05,647	3,75,769	10,72,80,111	3,61,92,350	88,92,705	2,11,568	4,48,73,487	6,24,06,624	5,72,57,883
चालू वर्ष का योग (क+ख)	9,75,62,022	1,42,05,647	3,75,769	11,13,91,900	3,90,37,050	89,62,401	2,11,568	4,77,87,883	6,36,04,017	5,85,24,972
पिछला वर्ष	8,27,52,106	1,54,19,594	6,09,678	9,75,62,022	3,10,09,053	85,10,812	4,82,815	3,90,37,050	5,85,24,972	-
चल रहा पूंजी संकर्म									4,33,21,569	27,87,376
कुल									10,69,25,586	-

ह./	ह./	ह./	ह./
लेखाकार	**ए.डी. वित्त**	**उप उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

31 मार्च, 2013 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 6 - वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:				
1 फुटकर देनदार		-		-
2 कुल शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय शामिल)		7,968		7,844
3 बैंक शेष				
अनुसूची बैंक साथ				
- चालू खाता (भारतीय स्टेट बैंक)		96,11,322		1,37,98,309
- बचत खाता (भारतीय स्टेट बैंक)		73,71,311		-
कुल (क)		1,69,90,601		1,38,06,153
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1 अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य नकद धनराशि अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजीगत लेखे पर- सीपीडब्ल्यूडी		3,55,75,041		6,38,64,484
ख) पूर्व-भुगतान		20,37,722		10,68,077
ग) ईसीएस दवारा वसूली योग्य धनराशि		-		35,72,707
घ) आयकर (टीडीएस) वसूली योग्य		73,690		40,872
ड.) अन्य		25,40,440		11,57,747
कुल (ख)		4,02,26,893		6,97,03,887
कुल (क + ख)		5,72,17,494		8,35,10,040

ह./	ह./	ह./	ह./
लेखाकार	**ए.डी. वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

अनुसूची 7	सदस्यता फीस	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	पुस्तकालय सदस्यता	54,033	7,90,036
	कुल	54,033	7,90,036

अनुसूची 8	स्वामित्व, प्रकाशनों आदि से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	स्वामित्व	3,28,118	2,20,977
	प्रकाशन की बिक्री	13,684	683
	कुल	3,41,802	2,21,660

अनुसूची 9	अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	क) आस्थगित आय से अंतरित (देखिए अनुसूची 3)	90,56,906	85,63,170
	ख) विविध आय	6,07,664	71,996
	कुल	96,64,570	86,35,166

ह./	ह./	ह./	ह./
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 10 स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरियां	97,15,048	1,12,67,207
ख) बोनस	1,09,090	1,20,890
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि का अंशदान	8,52,258	8,38,426
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	7,635	14,434
ड.) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आर.पी.एफ.सी.	12,534	12,827
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों (उपदान) पर किया जाने वाला व्यय	13,05,885	8,27,776
छ) चिकित्सा व्यय (निवल वसूली)	6,26,196	3,00,913
ज) कर्मचारी समूह बीमा	40,000	34,516
झ) ईएसआई अंशदान (विगत वर्ष)	35,72,707	-
कुल	1,62,41,353	1,34,16,989

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11 अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखा फीस	74,220	1,80,136
ख) सीएससीएपी - सामान्य व्यय	-	7,169
ग) विज्ञापन खर्च	34,992	1,86,960
घ) विद्यूत एवं जल	31,51,933	27,53,700
ड.) सेमीनार/कार्यशाला पर व्यय	1,07,65,529	78,25,377
च) कार्यालय बीमा	23,326	20,736
छ) ब्याज संदत्त - ईपीएफ ट्रस्ट	-	1,67,659
ज) एनडीएमसी संपत्ति कर	65,580	65,580
झ) कार्यालय व्यय	6,28,880	4,25,351
ञ) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	8,42,023	7,17,179
ट) मुद्रण और लेखन सामग्री	6,85,576	4,81,474
ठ) वृत्तिक और अन्यत मानवशक्ति किराया प्रभार	1,53,56,107	97,52,672
ड) रख-रखाव एवं मरम्मत	45,90,677	33,75,302
ढ) सुरक्षा व्यय	8,55,502	7,20,472
ण) यात्रा एवं वाहन व्यय	34,03,958	34,25,322
त) अन्य व्यय	46,425	31,421
थ) समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	77,428	75,718
द) वसूलनीय एवं अपलिखित	5,29,102	41,299
ध) पूर्व अवधि व्यय	6,13,608	3,63,986
कुल	4,17,44,866	3,06,17,513

ह./	ह./	ह./	ह./
लेखाकार	ए.डी. वित्त	उप महानिदेशक	महानिदेशक

अनुसूची: 12 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. **लेखाकरण अभिसमय**

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जोकि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. **अचल संपत्तियां और मूल्यह्रास**

2.1 अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।

2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित अवक्षयण को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर अवक्षयण, प्रबंधन द्वारा विनिश्चित किए गए, अनुसार समुचित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है:

भवन	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/उपसाधन	25%
विद्युत प्रतिष्ठान	15%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणाली	5%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष के 1 अक्तूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

3. राजस्व मान्यता

3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अभिदायों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

3.2 अवक्षणीय आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5. सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान को एक पृथक न्यास में अंतरित किया जाता है

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर संदेय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 01/05/2013

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पण

1. **आकस्मिक देनदारियां :**

क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचले न्यायालय ने आईसीडब्ल्यूए कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया। इस संबंध में आईसीडब्ल्यू ने निचली अदालत के विरुद्ध एक याचिका दायर की है। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यूए ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा किए हैं, जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

ख. आईसीबल्यूए के विरुद्ध यदि किसी अन्य न्यायिक मामलों में देनदारी हो - जिस राशि का सुनिश्चय न किया जा सके।

2. **पूंजी प्रतिबद्धताएं:** अग्रिम निवल - शून्य

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

4. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है, जैसे अनुदान की प्राप्ति तथा उसका विशिष्ट मंजूरियों हेतु प्राप्त अनुदान का उपयोग। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष/कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेवार होगा।

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

5. जहां कही आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध या पुन: व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।
6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।
7. अचल परिसंपत्ति में पूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पहले पूर्व प्रबंधन द्वारा सुरक्षित रखी गई सभी अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति शामिल है।
8. वर्तमान प्रबंधन को देनदारियों के विषय में जानकारी नहीं है, यदि कोई है, तो वह लीज रेंट के कारण है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यदि कोई लागत है तो क्या उसे भवन की लागत के रूप में शामिल किया गया है अथवा नहीं। यदि भूमि की लागत भवन की लागत का एक भाग है तो क्या प्रभारित मूल्यह्रास सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के विपरीत होगा।
9. राज्य बीमा कर्मचारी निगम (ईएसआईसी) द्वारा विगत वर्ष में वसूल की गई 35,72,707 रु. की राशि को वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया गया है।
10. परिषद ने पूर्व प्रबंधन से संबंधित 1,59,361 रू. के सेवा कर तथा 4,393 रू. के एनडीएमसी कर की बकाया वैधानिक देनदारियों के लिए लिखा है।

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 01/05/2013

ह./	ह./-	ह./	ह./-
लेखाकर	**ए.डी. वित्त**	**उप महानिदेशक**	**महानिदेशक**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखाओं पर भारत के महालेखानियंत्रक और परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने विश्व मामलों की भारतीय परिषद (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 20(2) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन विश्व मामलों की भारतीय परिषद को 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार संलग्न तुलन पत्र और आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां और संदाय लेखा की उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा की है। वित्तीय विवरणियां विश्व मामलों की भारतीय परिषद का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों और प्रकटन संनियमों आदि पर लेखा व्यवहार के संबंध में टिप्पणियां हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (प्रोप्राइटरी और विनियामक) तथा दक्षता बनाम निष्पादन पहलुओं के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखापरीक्षा संप्रेक्षण, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से पृथकत: रिपोर्ट किया गया है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यत: अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस तरह से बनाएं और लेखापरीक्षा इस तरह से करें कि हमें यह पता चल सके कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथनों से मुक्त है। किसी लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर जांच करना, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के समर्थन में सबूत एकत्रित करना और प्रबंधन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना शामिल है। हमारा यह विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ii) हमारी रिपोर्ट में व्यवहार किया गया तुलन पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियां और संदाय लेखा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक द्वारा विहित प्ररूप में प्रदर्शित किया गया है।

iii) हमारी राय में विश्व मामलों की भारतीय परिषद ने अधिनियम 2003 की धारा 20(1) द्वारा यथाअपेक्षित लेखा बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेख रखे हैं जैसाकि ऐसी लेखा बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है:

iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) सहायता अनुदान

परिषद मुख्यत: भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहायता अनुदान से वित्तपोषित होती है। वर्ष 2012-13 के दौरान 20.28 **लाख** रुपए का अव्ययित अतिशेष था और परिषद को 879.00 **लाख** रुपए (गैर-योजना) का अनुदान प्राप्त हुआ था जिससे कुल योग 899.28 **लाख** रुपए हो गया। तथापि, परिषद ने 807.65 लाख रुपए का व्यय किया था **जिससे 91.63 लाख** रुपए **का अव्ययित अवषेश रह गया।** इसके अतिरिक्त परिषद को विदेश मंत्रालय की परियोजना के लिए 55.99 **लाख** रुपए प्राप्त हुए जिनमें से 31.60 **लाख** रुपये का व्यय किया गया था। परिषद ने विभिन्न स्रोतों से भी 5.88 **लाख** रुपए प्राप्त किए हैं।

ख. प्रबंध पत्र

उन त्रुटियों को जिन्हें लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उपचारक शोधक कार्रवाई के लिए प्रबंधन द्वारा जारी पृथक पत्र के माध्यम से परिषद की जानकारी में लाया गया है।

i) पूर्वगामी पैराओं में हमारे संप्रेक्षणों के अधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा व्यवहार किया गया तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा/प्राप्ति और संदाय लेखा बहियों के अनुसार हैं।

ii). हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों और लेखा पर टिप्पणियों के साथ पठित और उपरोक्त कथित महत्वपूर्ण विषयों के अधीन रहते हुए तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-1 में वर्णित अन्य मामलों के अधीन रहते हुए उक्त वित्तीय विवरणियां भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट एक सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है:

(क) जहां तक 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के कार्यों से यह तुलन पत्र संबंध रखता है; और

(ख) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिषद के आय और व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

2

ह./- 18

महानिदेशक लेखापरीक्षा

केन्द्रीय राजस्व

स्थान: नई दिल्ली

तारीख:

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अनुबंध-1

विश्व मामलों की भारतीय परिषद की 2012-13 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. **आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:**

- विदेश मंत्रालय ने परिषद की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित नहीं की थी।

2. **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:**

नियंत्रण व्यवस्था:

- कार्मिकों के कर्तव्यों का कोई पृथक्करण नहीं है क्योंकि जो कार्मिक बीजक तैयार कर रहे हैं, वही कार्मिक नकद का संवितरण कर रहे थे।
- निर्णय लेने को सुकर बनाने के लिए कोई प्रबंध सूचना प्रणाली स्थापित नहीं की गई है।

निगरानी

- ऑडिट आपत्तियों के प्रबंधन की प्रतिक्रिया, प्रभावी नहीं था, 2003-04 के 3, 2008-09 के 3 और 2010-11 के 6 खातों के प्रमाण पत्र समय पर बकाया थे.

3. **सामग्रियों की सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**

अपर्याप्त भौतिक सत्यापन

- दुकान / शेयरों की • शारीरिक सत्यापन, पुस्तकालय की पुस्तकों और प्रकाशनों सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप दुकान को बनाए रखने के अधिकारी के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा आयोजित नहीं किया गया था.

ह./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी